पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–11/17..79............/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज / अररिया / पूर्णियाँ / कटिहार / पूर्वी चम्पारण / पश्चिम चम्पारण / दरभंगा / मधुबनी / सीतामढ़ी / शिवहर / सुपौल / मधेपुरा / मुजफ्फरपुर / गोपालगंज / सहरसा / खगड़िया / सारण / समस्तीपुर / सीवान ।

पटना–15, दिनांक– 30/8/17

विषयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड–39–2245021010002 के अन्तर्गत कुल ₹ 3200.00 लाख (बत्तीस करोड़ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघुशीर्ष–101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति मद के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध तथा वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक – ब–17/बी0सी0एफ0 आपदा 161/2017/23 सी0एफ0 दिनांक –30.08.17 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या –263/आ0प्र0 दिनांक –30.08.17 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

3 आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष–101 आनुग्रहिक राहत। मॉग संख्या–39

उपशीर्ष–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति।

विस्तृत शीर्ष–21–सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष–03– आहार/पथ्य

(राशि रूपये लाख में)

क्र०	जिला	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017–18)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2017–18)
1.	2.	3	4	5
1	किशनगंज	45.00 (पैंतालीस लाख)	128.00 (एक करोड़ अट्ठाईस लाख)	173.00 (एक करोड़ तिहत्तर लाख)
2	अररिया	45.00 (पैंतालीस लाख)	471.00 (चार करोड़ इकहत्तर लाख)	516.00 (पाँच करोड़ सोलह लाख)
3	पूर्णियाँ	245.00 (दो करोड़ पैंतालीस लाख)	379.00 (तीन करोड़ उनासी लाख)	624.00 (छः करोड़ चौबीस लाख)
4	कटिहार	45.00 (पैंतालीस लाख)	223.00 (दो करोड़ तेईस लाख)	268.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख)
5	पूर्वी चम्पारण	55.00 (पचपन लाख)	305.00 (तीन करोड़ पाँच लाख)	360.00 (तीन करोड़ साठ लाख)
6	पश्चिम चम्पारण	35.00 (पैंतीस लाख)	131.00 (एक करोड़ इकतीस लाख)	166.00 (एक करोड़ छियासठ लाख)
7	दरभंगा	40.00 (चालीस लाख)	378.00 (तीन करोड़ अठहत्तर लाख)	418.00 (चार करोड़ अठारह लाख)
8	मधुबनी	40.00 (चालीस लाख)	245.00 (दो करोड़ पैंतालीस लाख)	285.00 (दो करोड़ पचासी लाख)
9	सीतामढ़ी	60.00 (साठ लाख)	40.00 (चालीस लाख)	100.00 (एक करोड़)
10	शिवहर	30.00 (तीस लाख)	62.00 (बासठ लाख)	92.00 (बानबे लाख)
11	सुपौल	40.00 (चालीस लाख)	93.00 (तिरानबे लाख)	133.00 (एक करोड़ तेंतीस लाख)
12	मधेपुरा	35.00 (पैंतीस लाख)	69.00 (उनहत्तर लाख)	104.00 (एक करोड़ चार लाख)
13	मुजफ्फरपुर	45.00 (पैंतालीस लाख)	370.00 (तीन करोड़ सत्तर लाख)	415.00 (चार करोड़ पंद्रह लाख)

14	गोपालगंज	10.00 (दस लाख)	141.00 (एक करोड़ इकतालीस लाख)	151.00 (एक करोड़ इक्यावन लाख)
15	सहरसा	30.00 (तीस लाख)	38.00 (अड़तीस लाख)	68.00 (अड़सठ लाख)
16	खगडिया	30.00 (तीस लाख)	8.00 (आठ लाख)	38.00 (अड़तीस लाख)
17	सारण	10.00 (दस लाख)	110.00 (एक करोड़ दस लाख)	120.00 (एक करोड़ बीस लाख)
18	समस्तीपुर	30.00 (तीस लाख)	7.00 (सात लाख)	37.00 (सैंतीस लाख)
19	सीवान	10.00 (दस लाख)	2.00 (दो लाख)	12.00 (बारह लाख)
कुल योग		880.00 (आठ करोड़ अस्सी लाख)	3200.00 (बत्तीस करोड़)	4080.00 (चालीस करोड़ अस्सी लाख)

4. यह आवंटन आसन्न बाढ़ से प्रभावित जिलों में खाद्यान्न क्रय हेतु निर्गत किया जा रहा है। संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इस मद से सामुदायिक किचेन तथा शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को खिलाये जानेवाले पके भोजन में होने वाले व्यय का भुगतान किया जाय।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 **आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णत: व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक–17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **व्यय होनेवाली राशि के लिये तैयार किये गए विपत्र/ विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से " 8000-आकस्मिकता निधि " अंकित कराया जाय ।**

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(बिहार) राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक ....79........./आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 30/8/17

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट), बिहार/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक ....79........................./आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 30/8/17

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/17

अपर सचिव

ज्ञापांक ....79........................./आ0प्र0, पटना 15, दिनांक 30/8/17

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/17

अपर सचिव

ज्ञापांक -..........79........................./आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 30/8/17

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/8/17

अपर सचिव

ज्ञापांक ....79........................./आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 30/8/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) सह-प्रभारी सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/17

अपर सचिव